



उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद् रूड़की

माननीय उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय नैनीताल
उत्तराखण्ड अधीनस्थ सिविल न्यायालय लिपिक वर्गीय सेवा परीक्षा – 2012

विज्ञापन संख्या– 2956-A/UHC/Admin-B/ dated 30.06.2012
विज्ञापन प्रकाशन की तिथि – 30.06.2012
आवेदन पत्र स्वीकार किये जाने की अन्तिम तिथि – 30.07.2012

विस्तृत विज्ञापन उच्च न्यायालय की वेबसाईट www.highcourtofuttarakhand.gov.in एवं उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद् की वेबसाईट www.ubter.in पर भी देखा जा सकता है।

उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा "उत्तराखण्ड अधीनस्थ सिविल न्यायालय लिपिक वर्गीय सेवा परीक्षा-2012" हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। 'आवेदन पत्र' का प्रारूप इस विज्ञापन के अन्त में दिया गया है। आवेदन पत्र उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय एवं उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद् की वेबसाईट से डाउनलोड किया जा सकता है। उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय के अधीनस्थ सिविल न्यायालयों एवं परिवार न्यायालयों में लिपिक वर्गीय अधिष्ठान में एवं आशुलिपिक पदों हेतु उपयुक्त अभ्यर्थियों का चयन करने हेतु इस विज्ञापन के "परिशिष्ट-1" में उल्लिखित विभिन्न परीक्षा केन्द्रों पर एक परीक्षा का आयोजन किया जायेगा। परीक्षा का आयोजन उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद्, रूड़की द्वारा उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड के नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण में किया जायेगा। अभ्यर्थियों को आवंटित परीक्षा केन्द्रों/परीक्षा तिथि की सूचना उन्हें प्रवेश पत्र के माध्यम से उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद्, रूड़की द्वारा दी जायेगी। किसी भी अभ्यर्थी को परिषद् द्वारा जारी प्रवेश पत्र के बगैर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

नोट : किसी स्थान विशेष के लिए परीक्षा केन्द्र के विकल्प से संबंधित आवेदकों की संख्या कम अथवा बहुत अधिक होने व अन्य अपरिहार्य कारणों से परीक्षा केन्द्रों में परिवर्तन करना आवश्यक होगा तो इस सम्बन्ध में उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद्, रूड़की का निर्णय अन्तिम होगा तथा तदनुसार सम्बन्धित आवेदकों को अलग से अवगत करा दिया जायेगा।

1. रिक्तियों की संख्या : रिक्तियों की कुल अनुमानित संख्या 288 है। जिसमें 170 लिपिक वर्गीय पदों हेतु एवं 118 आशुलिपिक पदों हेतु है। रिक्तियों का विवरण जनपदवार एवं पदवार "परिशिष्ट-2" पर अंकित है।

2. अभ्यर्थियों को आवेदन-पत्र के निर्धारित स्तम्भ में वरीयता के आधार पर नियुक्ति हेतु जनपद का विकल्प देना होगा। चयन उपरान्त उन्हें विकल्प के आधार पर नियुक्त किया जायेगा। उक्त विकल्प अपरिवर्तनीय होगा। वरीयता क्रम के आधार पर सम्बन्धित जनपद में पद रिक्त न रहने की दशा में अभ्यर्थी को किसी भी जनपद में नियुक्त किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में उच्च न्यायालय का निर्णय अन्तिम होगा।

3. राष्ट्रीयता : किसी व्यक्ति को लिपिक वर्गीय अधिष्ठान में तभी नियुक्त किया जायेगा, जबकि वह भारत का नागरिक हो और इस विज्ञापन के प्रकाशन से पूर्व उत्तराखण्ड के किसी रोजगार कार्यालय में पंजीकृत हो।

4. चरित्र : लिपिक वर्गीय अधिष्ठान में भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो। नियुक्ति प्राधिकारी इस सम्बन्ध में अपना समाधान कर लेगा। अभ्यर्थी को यथास्थिति उस विश्वविद्यालय या महाविद्यालय या स्कूल के, जिसमें उसने अंतिम बार शिक्षा प्राप्त की थी, प्रधान अधिकारी और दो प्रतिष्ठित जिम्मेदार व्यक्तियों से जो नातेदार न हों, जो उसके निजी जीवन से सुपरिचित हों, अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

टिप्पणी :- भारत सरकार या राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण या निगम या केन्द्रीय अथवा किसी राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रित संस्थान से बर्खास्त अभ्यर्थी लिपिक वर्गीय संस्थान में चयन के लिए अनर्ह होंगे। ऐसे व्यक्ति भी अयोग्य होंगे, जो ऐसे अपराध में दोष सिद्ध हुए हों जिसमें नैतिक अद्यमता सम्मिलित है।

5. शारीरिक स्वस्थता : किसी भी ऐसे अभ्यर्थी को लिपिक वर्गीय संस्थान में नियुक्त नहीं किया जायेगा, यदि वह शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है और किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त नहीं है, जिसके कारण उसे अपने कर्तव्यों को दक्षतापूर्वक निर्वहन में हस्तक्षेप की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-एक भाग-दो के अध्याय-तीन में समाविष्ट मूल नियम-10 के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार स्वस्थता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा।

6. शैक्षणिक अर्हताएं: लिपिक वर्गीय पद हेतु :-

1. भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि अथवा समकक्ष मान्यता प्राप्त अर्हता रखता हो।
2. हिन्दी एवं अंग्रेजी भाषा का अच्छा ज्ञान होना चाहिए।
3. हिन्दी में टंकण की, कम्प्यूटर पर 25 शब्द प्रतिमिनट की गति सहित अच्छा ज्ञान हो। उन अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जायेगी, जो अंग्रेजी में टंकण की, कम्प्यूटर पर प्रति मिनट 30 शब्द की गति रखते हों।
4. कम्प्यूटर प्रचालन का पर्याप्त ज्ञान हो।

आशुलिपिक एवं कुटुम्ब न्यायालय के वैयक्तिक सहायक पद हेतु :-

1. भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि अथवा समकक्ष मान्यता प्राप्त अर्हता रखता हो।
2. हिन्दी एवं अंग्रेजी भाषा का अच्छा ज्ञान होना चाहिए।
3. हिन्दी आशुलेखन में 80 शब्द प्रतिमिनट और हिन्दी में टंकण की, कम्प्यूटर पर 25 शब्द प्रति मिनट की गति रखता हो। उन अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जायेगी जो अंग्रेजी आशुलेखन में 80 शब्द प्रति मिनट और अंग्रेजी में टंकण की, कम्प्यूटर पर प्रति मिनट 35 शब्द की गति रखते हों।
4. कम्प्यूटर संचालन का पर्याप्त ज्ञान हो।

7. **वैवाहिक प्रस्थिति** : लिपिक वर्गीय अधिष्ठान में भर्ती के लिए ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र नहीं होगा, जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हो या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र नहीं होगी, जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो, जिसकी पहले से ही एक जीवित पत्नी हो।

8. **आरक्षण**: (1) **ऊर्ध्व आरक्षण**:- उत्तराखण्ड के अनुसूचित जाति, उत्तराखण्ड के अनुसूचित जनजाति तथा उत्तराखण्ड के अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त राज्य सरकार के शासनादेशों के अनुसार अनुमन्य होगा। (शा0सं0-1144/कार्मिक-2-2001-53(1)/2001, दिनांक 18 जुलाई, 2001 तथा शा0सं0-254/कार्मिक-2/2002, दि0 10 अक्टूबर, 2002)

(2) **क्षैतिज आरक्षण**:- (क) उत्तराखण्ड के शारीरिक रूप से विकलांग, उत्तराखण्ड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित तथा उत्तराखण्ड के पूर्व सैनिकों को क्षैतिज आरक्षण उत्तराखण्ड {उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993} (यथा संशोधित)-अधि0सं0:133/XXXVI(3)/2009/14(1)/2009 दिनांक 16 मार्च 2009 के प्राविधानों तथा समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुसार देय होगा। उत्तराखण्ड के शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति को आरक्षण का लाभ तभी अनुमन्य होगा जब सम्बन्धित पद शासन द्वारा विकलांगता की श्रेणियों में से किसी श्रेणी के लिए चिन्हित होगा।

(i) "पूर्व सैनिक" से उत्तराखण्ड का ऐसा अधिवासी अभिप्रेत है, जिसने भारतीय थल सेना, नौ सेना या वायु सेना में योद्धक या अनायोद्धक के रूप में सेवा की हो और जो- (एक) अपनी पेंशन अर्जित करने के पश्चात् ऐसी सेवा से सेवानिवृत्त हुआ है, या (दो) चिकित्सीय आधार पर, जैसा कि सैन्य सेवा के लिए अपेक्षित हो, ऐसी सेवा से निर्मुक्त किया गया है, या ऐसी परिस्थितियों, जो उसके नियंत्रण से बाहर हो, के कारण निर्मुक्त किया गया है और जिसे चिकित्सीय या अन्य योग्यता पेंशन दी गई है, या (तीन) जो ऐसी सेवा के अधिष्ठान में कमी किये जाने के फलस्वरूप, अपनी स्वयम् की प्रार्थना के बिना, निर्मुक्त किया गया है या (चार) विशिष्ट निर्धारित अवधि पूर्ण करने के पश्चात् ऐसी सेवा से निर्मुक्त किया गया है, किन्तु अपनी स्वयं की प्रार्थना पर निर्मुक्त नहीं किया गया है, या दुराचरण या अदक्षता के कारण पदच्युत या सेवा मुक्त नहीं किया गया है और जिसे ग्रेच्युटी प्रदान की गयी है और इसमें टेरीटोरियल आर्मी के निम्नलिखित श्रेणी के कार्मिक भी हैं- (एक) निरन्तर संगठित सेवा के लिए पेंशन पाने वाले, (दो) सैन्य सेवा के कारण चिकित्सीय अपेक्षाओं में अयोग्य व्यक्ति, और (तीन) शौर्य पुरस्कार पाने वाले।

नोट:- पूर्व सैनिकों के आश्रितों को किसी भी प्रकार की छूट या आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं है।

(ii) "शारीरिक रूप से विकलांग" से उत्तराखण्ड का ऐसा अधिवासी अभिप्रेत है, जो चलन क्रिया सम्बन्धी निःशक्तता या प्रमस्तिष्कीय अंगघात की विकलांगता से ग्रसित हो।

टिप्पणी:- विकलांग आरक्षण के लाभ हेतु विकलांगता की उपर्युक्त श्रेणी में कम से कम 40 प्रतिशत की विकलांगता होना अनिवार्य है। (Such person shall have to furnish a fitness certificate as provided in Rule 9 of Uttarakhand Civil Courts Ministerial Establishment Rules 2007)

(iii) "स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित" से तात्पर्य स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के (एक) पुत्र और पुत्री (विवाहित या अविवाहित) (दो) पौत्र (पुत्र का पुत्र) और अविवाहित पौत्री (पुत्र की पुत्री) से है।

(ख) उत्तराखण्ड के विशिष्ट खिलाड़ियों के लिए क्षैतिज आरक्षण शा0सं0:2461/XXX(2)/2006 दिनांक 06 अक्टूबर 2006 व शा0सं0:136/XXX(2)/2009 दि0 27 फरवरी 2009 के प्राविधानों के अनुसार अनुमन्य होगा। मान्यता प्राप्त खेल एवं मान्य खिलाड़ियों के वर्गीकरण की सूची उक्त शासनादेश से अवलोकित करने के पश्चात ही इस श्रेणी में अपने आरक्षण का दावा करें।

(ग) उत्तराखण्ड की महिलाओं को क्षैतिज आरक्षण शा0सं0-1144/कार्मिक-2-2001-53(1)/2001 दि0 18 जुलाई 2001, शा0सं0-589/कार्मिक-2/2002 दि0 21 जून 2002 तथा शा0सं0-1968/XXX/2006 दि0 24 जुलाई 2006 के प्राविधानों के अनुसार अनुमन्य होगा।

नोट:- (1) शासनादेशों के नवीनतम प्राविधानों के अनुसार उत्तराखण्ड के अनुसूचित जाति के लिए स्वीकृत कुल संवर्गीय पदों का 19%, उत्तराखण्ड के अनुसूचित जनजातियों के लिए स्वीकृत कुल संवर्गीय पदों का 04% तथा उत्तराखण्ड के अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए स्वीकृत कुल संवर्गीय पदों का 14% ऊर्ध्व आरक्षण अनुमन्य होगा।

(2) शासनादेशों के नवीनतम प्राविधानों के अनुसार उत्तराखण्ड की महिला के लिए 30% उत्तराखण्ड के पूर्व सैनिक के लिए 05% उत्तराखण्ड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित के लिए 02% उत्तराखण्ड के कुशल खिलाड़ियों लिए 04%, तथा उत्तराखण्ड के शारीरिक रूप से विकलांग अभ्यर्थियों के लिये 3% क्षैतिज आरक्षण अनुमन्य होगा।

(3) यदि अभ्यर्थी एक से अधिक श्रेणी में आरक्षण का दावा करता है तो वह केवल एक श्रेणी, जो उसके लिए अधिक लाभदायक होगा, का लाभ पाने का पात्र होगा।

(4) आरक्षण का लाभ चाहने वाले अभ्यर्थी संबंधित आरक्षित श्रेणी/उपश्रेणी के समर्थन में मुद्रित निर्धारित प्रारूप पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लें एवं जब उनसे अपेक्षा की जाय तब वे उसे परिषद्/नियुक्ति प्राधिकारी को प्रस्तुत करें। अन्य पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आरक्षण प्रमाण पत्र विज्ञापन प्रकाशन की तिथि से 06 माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए।

9. आयु सीमा : (1) सेवा में किसी भी पद पर भर्ती हेतु 1 जनवरी 2012 को अभ्यर्थी की आयु 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। अभ्यर्थी के लिये निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष तथा अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष है।

(2) **अधिकतम आयु सीमा में छूट :** (क) शा0सं0-1399/XXX(2)/2005 दिनांक 21 मई 2005 के अनुसार उत्तराखण्ड के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमन्य होगी।

(ख) उत्तराखण्ड के शारीरिक रूप से विकलांग/निःशक्त अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 10 वर्ष अधिक होगी। उत्तराखण्ड स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित अभ्यर्थियों के लिए उच्चतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमन्य होगी। (शा0सं0-1244/XXX(2)/2005 दिनांक 21 मई 2005)

(ग) उत्तराखण्ड के पूर्व सैनिक के अपनी वास्तविक आयु में से सशस्त्र सेना में अपनी सेवा की अवधि कम करने की अनुमति दी जायेगी और यदि परिणामजन्य आयु उस पद/सेवा के निमित्त, जिसके लिये वह नियुक्ति का इच्छुक हो, विहित अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो तो यह समझा जायगा कि वह उच्च आयु सीमा से सम्बन्धित शर्त को पूरा करता है।

(घ) राष्ट्रीय अथवा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के वर्गीकृत खेलों के उत्तराखण्ड के कुशल खिलाड़ियों के लिए उच्चतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमन्य होगी। (शा0सं0-22/21/1983-कार्मिक-2, दिनांक 28.11.1985)

10. शुल्क—उत्तराखण्ड राज्य सरकार द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या 548/XXX(2)/2012/55(35)2012 दिनांक 22.06.2012 के क्रम में समस्त श्रेणियों के अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र शुल्क एवं परीक्षा शुल्क के भुगतान से छूट प्रदान की जाती है।

11. पाठ्यक्रम : भर्ती हेतु लिखित परीक्षा निम्नलिखित पाठ्यक्रम के अनुसार परीक्षा आयोजित की जायेगी:—

लिखित परीक्षा एवं प्रयोगात्मक परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम

लिखित परीक्षा भाग-1	वस्तुनिष्ठ प्रकार की एक लिखित परीक्षा होगी, जिसमें सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के बहुविकल्पीय 140 प्रश्न होंगे।	140 अंक
प्रयोगात्मक परीक्षा भाग-2	कम्प्यूटर पर टंकण/आशुलेखन में परीक्षण (आशुलिपिकों के लिए): हिन्दी आशुलेखन में 80 शब्द प्रतिमिनट और हिन्दी में टंकण की, कम्प्यूटर पर 25 शब्द प्रति मिनट की गति रखता हो। उन अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जायेगी, जो अंग्रेजी आशुलेखन में 80 शब्द प्रति मिनट और अंग्रेजी में टंकण की, कम्प्यूटर पर प्रति मिनट 35 शब्द की गति रखते हों। अन्य के लिये): हिन्दी में टंकण की, कम्प्यूटर पर 25 शब्द प्रतिमिनट की गति सहित अच्छा ज्ञान हो। उन अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जायेगी, जो अंग्रेजी में टंकण की, कम्प्यूटर पर प्रति मिनट 30 शब्द की गति रखते हों।	60 अंक
योग		200 अंक

विशेष नोट: टंकण/आशुलेखन परीक्षा के लिये 1 रिक्त पद पर 4 अभ्यर्थियों को बुलाया जायेगा।

भाग-1 में उल्लिखित वस्तुनिष्ठ प्रकार की लिखित परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर के लिए एक अंक दिया जायेगा तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिये 1/4 अंक काट लिया जायेगा। उत्तर प्रपत्र दो प्रतियों में होगा, जिसकी द्वितीय प्रति अभ्यर्थियों को ले जाने की अनुज्ञा होगी। वस्तुनिष्ठ प्रकार की लिखित परीक्षा के उपरान्त उत्तर कुंजी उच्च न्यायालय तथा परिषद की वेबसाईट पर तथा समाचारपत्र के माध्यम से प्रकाशित की जायेगी। भाग-1 में उल्लिखित लिखित परीक्षा के परिणाम के आधार पर भाग-2 में उल्लिखित टंकण/आशुलेखन परीक्षा हेतु एक पद के विपरीत चार अभ्यर्थियों की सूची तैयार की जायेगी, जिन्हें टंकण/ आशुलेखन परीक्षा हेतु आमंत्रित किया जायेगा। यदि दो अभ्यर्थियों के समान अंक आते हैं तो आयु में वरिष्ठ अभ्यर्थी को चयन सूची में ऊपर स्थान दिया जायेगा। आयु भी समान होने पर भाग-1 परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को चयन सूची में ऊपर स्थान दिया जायेगा।

12. आवेदन पत्र का स्वरूप— परीक्षा हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप इस विज्ञापन के अन्त में दिया गया है। आवेदन पत्र उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय एवं उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद की वेबसाईट से डाउनलोड कर 70 gsm के A-4 साईज के सफेद कागज पर भरकर भेजना अनिवार्य है। अन्य किसी रूप में टंकित अथवा हस्तलिखित आवेदन मान्य नहीं होगा। आवेदन पत्र को भरने से पहले अभ्यर्थी आवेदन पत्र के साथ संलग्न निर्देशों को अवश्य पढ़ें। आवेदन पत्र के साथ सभी शैक्षणिक, आयु एवं आरक्षण सम्बन्धी स्व-प्रमाणित दस्तावेज संलग्न करें। लिखित परीक्षा का आयोजन आवेदन पत्र पर दी गयी सूचना के आधार पर किया जायेगा। अभ्यर्थी स्पष्ट रूप से विज्ञापन पढ़कर आवेदन पत्र में सही सूचना ही भरें। गलत एवं अस्पष्ट सूचना भरने पर अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा एवं गलत सूचना देने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा एवं उसके खिलाफ विधिक कार्यवाही की जा सकती है। अभ्यर्थी आवेदन निर्धारित प्रारूप पर ही करें।

13. आवेदन पत्र भरने हेतु अनुदेश :

1. अभ्यर्थी विज्ञापन का सावधानीपूर्वक अध्ययन करें और तभी आवेदन करें जब वे संतुष्ट हों कि वे पात्रता सम्बन्धी सभी शर्तें पूरी करते हैं। **परीक्षा में सम्मिलित होने मात्र से यह नहीं माना जायेगा कि अभ्यर्थी आवश्यक निर्धारित अर्हता प्राप्त करते हैं।** जो अभ्यर्थी स्नातक परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हों अथवा जिनका परीक्षाफल आवेदन पत्र प्राप्त करने की अन्तिम तिथि तक प्राप्त न हुआ हो, वे आवेदन न करें।
2. आवेदन पत्र अभ्यर्थियों द्वारा अपने हाथों से भरा जाना चाहिए। आवेदन पत्र भरने के लिए **केवल काले अथवा नीले रंग के बॉल प्वाइन्ट पेन** का प्रयोग करना चाहिए।
3. किसी भी आरक्षित श्रेणी में आने वाले अभ्यर्थी, यदि वे आरक्षण का लाभ चाहते हैं, तो आवेदन-पत्र के सम्बन्धित स्तम्भ में अपनी श्रेणी/श्रेणियों/उपश्रेणियों (एक या एक से अधिक जो भी हो) को अवश्य अंकित करें, अन्यथा वे अनारक्षित (सामान्य) अभ्यर्थी समझे जायेंगे और उन्हें आरक्षण का लाभ प्राप्त नहीं होगा।
4. आवेदन पत्र प्रस्तुत कर दिये जाने के उपरान्त अर्हता, आरक्षण श्रेणी/उपश्रेणी व आयु आदि में किसी भी प्रकार का संशोधन या परिवर्तन का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जायेगा।

14. संलग्नक :

(1) प्रवेश पत्र हेतु अभ्यर्थी आवेदन पत्र के साथ अपना पूरा पता लिखा एक लिफाफा (₹25 के डाक टिकट चिपके हुए) अवश्य संलग्न करें, जिस पर परीक्षा का नाम, विज्ञापन संख्या तथा अभ्यर्थी का पूरा पता अंकित होना चाहिए।

(2) अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र में निर्धारित स्थान पर नवीनतम फोटोग्राफ चस्पा कर, स्वप्रमाणित कर फोटो के नीचे पठनीय हस्ताक्षर भी करें।

उक्त अनुदेश का पालन न करने पर आवेदन-पत्र निरस्त कर दिया जायेगा।

नोट— आवेदन पत्र के साथ सभी शैक्षणिक, आयु एवं आरक्षण सम्बन्धी स्व-प्रमाणित दस्तावेज संलग्न करें। अन्य पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आरक्षण प्रमाण पत्र विज्ञापन प्रकाशन की तिथि से 06 माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए।

15. आवेदन पत्र प्राप्त होने की अन्तिम तिथि :

अभ्यर्थी भरे हुए आवेदन पत्र लिफाफे में रखकर "सचिव, उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद्, संयुक्त प्रवेश परीक्षा एवं प्रशिक्षण अनुसंधान विकास प्रकोष्ठ, राजकीय पालीटेकनिक पित्थूवाला परिसर, देहरादून -248001" के पते पर केवल पंजीकृत अथवा स्पीड पोस्ट से भेजें। आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि दिनांक **30/07/2012** है। उक्त अन्तिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पत्रों को कालबाधित (Time Barred) अंकित कर वापस कर दिया जायेगा।

16. उत्तराखण्ड अधीनस्थ सिविल न्यायालय लिपिक वर्गीय सेवा लिखित परीक्षा में सफल घोषित अभ्यर्थियों के लिए अनुदेश :

1. बिन्दु-11 के भाग-1 में उल्लिखित लिखित परीक्षा में सफल घोषित अभ्यर्थियों को भाग-2 में उल्लिखित टंकण/आशुलेखन (आशुलिपिक पदों के लिए) एवं टंकण (लिपिक वर्गीय पदों के लिए) आमंत्रित किया जायेगा। **सामान्य अभ्यर्थियों हेतु आवश्यक न्यूनतम प्राप्तांक 50 प्रतिशत तथा उत्तराखण्ड के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु आवश्यक न्यूनतम प्राप्तांक 40 प्रतिशत होंगे।** भाग-1 परीक्षा में आवश्यक न्यूनतम प्राप्तांक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों में से सामान्यतया: एक पद के विपरीत चार अभ्यर्थियों को मेरिट के आधार पर (अपनी श्रेणी में) भाग-2 परीक्षा हेतु आमंत्रित किया जायेगा। अन्तिम चयन सूची भाग-1 एवं भाग-2 के प्राप्तांकों के आधार पर तैयार की जायेगी।
2. बिन्दु-11 के भाग-2 में उल्लिखित परीक्षा हेतु तिथि तथा केन्द्र बाद में निर्धारित किया जायेगा, जिसकी सूचना उच्च न्यायालय तथा परिषद की वेबसाइट पर की जायेगी। **भाग-1 परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को भाग-2 परीक्षा में प्रवेश भाग-1 परीक्षा हेतु जारी प्रवेश-पत्र के आधार पर ही दिया जायेगा।**
3. अभ्यर्थियों को बिन्दु-11 के भाग-2 की परीक्षा के समय अपने विभागाध्यक्ष अथवा उस संस्था के प्रधान द्वारा जहां उन्होंने शिक्षा पायी हो अथवा किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित पासपोर्ट आकार की दो फोटोग्राफ प्रस्तुत करने होंगे।
4. केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन कार्यरत अभ्यर्थियों को बिन्दु-11 के भाग-2 में उल्लिखित परीक्षा के समय अपने सेवा नियोजक का "अनापत्ति प्रमाण पत्र" मूल रूप में प्रस्तुत करना होगा।

17. सभी अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश :

1. किसी भी अभ्यर्थी को अपने आवेदन पत्र में गलत तथ्यों को जिनकी प्रमाण-पत्र के आधार पर पुष्टि नहीं की जा सकती, ऐसे तथ्य देने पर भविष्य की समस्त परीक्षाओं के लिए प्रतिवारित (डिबार) किया जा सकता है और उसके विरुद्ध आपराधिक दण्डात्मक कार्यवाही भी की जा सकती है।
2. परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वे परीक्षा में प्रवेश हेतु सभी पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं। **परीक्षा के सभी स्तरों पर उनका प्रवेश पूर्णतः अनन्तिम होगा बशर्त कि वे निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करते हों। उम्मीदवार को मात्र प्रवेश पत्र जारी किये जाने का यह अर्थ नहीं होगा कि उसकी उम्मीदवारी अन्तिम रूप से सुनिश्चित कर दी गयी है।** यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी अर्ह नहीं था अथवा उसका आवेदन पत्र अस्वीकृत किया जाना

चाहिए था अथवा वह प्रारम्भिक स्तर पर ही स्वीकार किए जाने योग्य नहीं था, उसका अभ्यर्थन सरसरी तौर पर निरस्त कर दिया जायेगा और यदि वह अन्तिम रूप से चुन लिया जाता है तो भी चयन की संस्तुति वापस ले ली जाएगी।

3. अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन पत्र के सभी स्तम्भ स्पष्टता पूर्ण रूप से भरे होने चाहिए तथा किसी भी स्तम्भ को अपूर्ण या रिक्त न छोड़े। अस्पष्ट, संदिग्ध तथा भ्रामक होने की दशा में आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिए जाएंगे।
4. निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र प्रस्तुत न किए जाने की दशा में आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा।
5. मूल आवेदन पत्र में दर्शाये गए विवरण में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन किसी भी दशा में अनुमन्य नहीं होगा।
6. अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अपने आवेदन पत्र, उपस्थिति सूची आदि में तथा परिषद के साथ समस्त पत्र व्यवहार में सभी स्थानों पर उनके द्वारा किए गए हस्ताक्षर एक जैसे होने चाहिए और उनमें किसी भी प्रकार की भिन्नता नहीं होनी चाहिए। अभ्यर्थियों द्वारा विभिन्न स्थानों पर किए गए हस्ताक्षरों में यदि कोई भिन्नता पायी जाती है तो परिषद उसके अभ्यर्थन को रद्द कर सकता है।
7. एक लिफाफे में एक से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त होने की दशा में सभी आवेदन पत्र अस्वीकृत किए जाने योग्य होंगे। **यदि कोई अभ्यर्थी इस परीक्षा के लिए अपने नाम से एक से अधिक आवेदन पत्र प्रस्तुत करता है तो उसके सभी आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिए जाएंगे तथा उनका अभ्यर्थन भी रद्द कर दिया जाएगा।**
8. **अन्तिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पत्रों पर किसी भी दशा में विचार नहीं किया जाएगा।** अपूर्ण एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र तथा ऐसे आवेदन पत्र जिस पर अभ्यर्थियों के हस्ताक्षर नहीं हैं, समयान्तर्गत प्राप्त होने के बावजूद, सरसरी तौर पर अस्वीकृत कर दिए जाएंगे। **डाक द्वारा विलम्ब से प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों के लिए परिषद जिम्मेदार नहीं होगा।**
9. हाईस्कूल अथवा समकक्ष परीक्षा के प्रमाण पत्र में अंकित जन्मतिथि ही मान्य होगी। जन्मतिथि हेतु उक्त प्रमाण पत्र के अतिरिक्त अन्य कोई अभिलेख मान्य नहीं होगा।
10. अभ्यर्थियों को वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पत्रों के उत्तर हेतु कैलकुलेटर का प्रयोग अनुमन्य नहीं है। परीक्षा केन्द्र परिसर में परीक्षा के दौरान अभ्यर्थी द्वारा मोबाईल फोन, पेजर्स अथवा किसी अन्य प्रकार के संचार यंत्र के प्रयोग की अनुमति नहीं है। यदि वे इन अनुदेशों का उल्लंघन करते हुए पाये जाते हैं तो उन पर भविष्य में आयोजित की जाने वाली सभी परीक्षाओं में बैठने पर रोक सहित अन्य कार्यवाही की जा सकती है। अभ्यर्थियों को उनके हित में सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा स्थल पर मोबाईल फोन/पेजर्स सहित किसी प्रकार की प्रतिबन्धित सामग्री न लायें, क्योंकि उनकी सुरक्षा का प्रबन्ध सुनिश्चित नहीं किया जा सकता।
11. कोई भी अभ्यर्थी किसी भी अन्य अभ्यर्थी के पेपरो से न तो नकल करेगा, न ही अपने पेपरो से नकल करवायेगा, न ही किसी अन्य तरह की अनुचित सहायता देगा, न ही सहायता देने का प्रयास करेगा, न ही सहायता प्राप्त करेगा और न ही प्राप्त करने का प्रयास करेगा।
12. **परीक्षा भवन में आचरण :** कोई भी अभ्यर्थी किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार न करें तथा परीक्षा हाल में अव्यवस्था न फैलायें तथा परीक्षा के संचालन हेतु परिषद द्वारा तैनात स्टाफ को परेशान न करें। ऐसे किसी भी दुराचरण के लिए कठोर दण्ड दिया जाएगा।
13. **कदाचार के दोषी पाये गये अभ्यर्थियों के विरुद्ध कार्यवाही:** अभ्यर्थियों को यह चेतावनी दी जाती है कि आवेदन पत्र भरते समय न तो कोई झूठे विवरण प्रस्तुत करें और न ही किसी महत्वपूर्ण सूचना को छिपाएं। उन्हें यह भी चेतावनी दी जाती है कि वे अपने द्वारा प्रस्तुत किसी प्रलेख या उसकी अनुप्रमाणित/प्रमाणित प्रति को किसी प्रविष्टि में कोई शोधन या परिवर्तन या अन्यथा फेर बदल नहीं करें तथा न ही वे फेर बदल किया गया/जाली प्रलेख प्रस्तुत करें। यदि दो या दो से अधिक दस्तावेजों के बीच अथवा उनकी अनुप्रमाणित/प्रमाणित प्रतियों में कोई असंगति या विसंगति हो तो इस विसंगति के बारे में अभ्यर्थी को स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना चाहिए।
14. **वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पत्रों पर सम्बन्धित उत्तर कुंजी/कूजियों का विवरण परीक्षा समाप्ति के उपरान्त परिषद की वेबसाइट पर प्रकाशित कर दिया जाएगा** और अभ्यर्थी उत्तर कुंजी के प्रकाशन के 10 दिनों के भीतर प्रश्न व सम्बन्धित उत्तर के सम्बन्ध में अपना प्रत्यावेदन परिषद को प्रस्तुत कर सकते हैं। इस अवधि के उपरान्त प्राप्त प्रत्यावेदनों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा और प्राप्त प्रत्यावेदनों का निस्तारण सम्बन्धित विषय विशेषज्ञों से कराने के उपरान्त विषय विशेषज्ञों की संस्तुतियों के आधार पर उत्तर पत्रों का मूल्यांकन कर परीक्षा परिणाम की घोषणा कर दी जाएगी।
15. यदि अभ्यर्थी के पते में कोई परिवर्तन होता है तो उसे तत्परता से परिषद को रजिस्टर्ड डाक द्वारा सूचित किया जाना चाहिए।
16. **अभ्यर्थियों को सचेत किया जाता है कि वे पूर्णतया यह संतुष्ट हो जाने के पश्चात् कि वे विज्ञापन/परीक्षा की सभी शर्तों को पूरा करते हैं, आवेदन करें और परीक्षा में बैठें।**
17. **परिषद अभ्यर्थियों को उनकी पात्रता के सम्बन्ध में कोई परामर्श नहीं देता है। इसलिए अभ्यर्थी विज्ञापन का सावधानीपूर्वक अध्ययन करें और तभी आवेदन करें जब वे संतुष्ट हो कि वे विज्ञापन की शर्तों के अनुसार अर्ह हैं। उन्हें विज्ञापन के अन्त में छपे पाठ्यक्रम का अध्ययन सावधानी से कर लेना चाहिए। उत्तराखण्ड अधीनस्थ सिविल न्यायालय लिपिक वर्गीय पदों पर भर्ती हेतु आयोजित की जाने वाली वस्तुनिष्ठ प्रकृति की परीक्षा में ऋणात्मक मूल्यांकन (Negative Marking) पद्धति अपनायी जाएगी। उम्मीदवार द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिए दिए गए गलत उत्तर के लिए या उम्मीदवार द्वारा एक प्रश्न के एक से अधिक उत्तर देने के लिए (चाहे दिए गए गलत उत्तर में से एक सही ही क्यों न हो), उस प्रश्न के लिए दिए जाने वाले अंकों का एक चौथाई (0.25) दण्ड के रूप में काटा जाएगा। दण्ड स्वरूप अंकों के योग को कुल प्राप्तांक में से घटाया जाएगा।**
18. नियुक्ति हेतु चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति से पूर्व नियमों में अपेक्षित स्वास्थ्य परीक्षण कराना होगा। यह कार्यवाही नियुक्ति से पूर्व सम्बन्धित नियुक्ति अधिकारी/प्राधिकारी द्वारा पृथक से की जाएगी।
19. अभ्यर्थियों को परीक्षा की तिथि, कार्यक्रम, समय तथा केन्द्र के सम्बन्ध में अनुक्रमांक सहित प्रवेश-पत्रों के माध्यम से सूचना दी जायेगी। अभ्यर्थियों को आवंटित केन्द्र पर ही परीक्षा देनी होगी। केन्द्र निर्धारण के उपरान्त केन्द्र परिवर्तन अनुमन्य नहीं होगा। बिन्दु-11 में भाग-1 में उल्लिखित परीक्षा में सफल घोषित अभ्यर्थियों को भाग-2 की परीक्षा हेतु पृथक से प्रवेश पत्र जारी नहीं किया जायेगा। भाग-1 परीक्षा में सफल घोषित अभ्यर्थियों की सूची उच्च न्यायालय तथा परिषद की वेबसाइट पर प्रकाशित की जायेगी। भाग-1 परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को भाग-2 परीक्षा में प्रवेश भाग-1

- परीक्षा हेतु जारी प्रवेश-पत्र के आधार पर ही दिया जायेगा, इसलिए अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि अन्तिम चयन तक प्रवेश-पत्र को सुरक्षित रखें एवं मांगने पर प्रस्तुत करें।
20. उम्मीदवार को मात्र प्रवेश पत्र जारी किये जाने का अर्थ यह नहीं है कि उसकी उम्मीदवारी परिषद द्वारा अन्तिम रूप से सुनिश्चित कर दी गई है अथवा उसके द्वारा प्रस्तुत प्रमाण-पत्र आदि की जांच कर ली गई है। उम्मीदवार द्वारा अन्तिम चयन सूची में अर्हता प्राप्त करने के बाद ही नियुक्ति अधिकारी/परिषद मूल प्रमाण पत्र के सन्दर्भ में पात्रता शर्तों का सत्यापन कराता है। अन्तिम चयन के उपरान्त भी यदि अभ्यर्थी किसी भी स्तर पर अपात्र पाया जाता है तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा।
 21. अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि चयन प्रक्रिया के दौरान कोई भी पत्र व्यवहार उच्च न्यायालय से न करें न ही उच्च न्यायालय से उत्तर की अपेक्षा करें।

परिशिष्ट-1

जिन जनपदों में भाग-1 में उल्लिखित परीक्षा आयोजित की जायेगी, उनके केन्द्र व कोड इस प्रकार है :-

परीक्षा केन्द्र	केन्द्र कोड
देहरादून	01
हरिद्वार	02
टिहरी गढ़वाल	03
पौड़ी गढ़वाल	04
रूद्रप्रयाग	05
चमोली	06
उत्तरकाशी	07

परीक्षा केन्द्र	केन्द्र कोड
उधम सिंह नगर	08
नैनीताल	09
अल्मोड़ा	10
पिथौरागढ़	11
बागेश्वर	12
चम्पावत	13

विशेष नोट:- यदि किसी केन्द्र पर अभ्यर्थियों की संख्या 500 से कम होती है तो अभ्यर्थियों को उसके निकटतम जिले में परीक्षा केन्द्र आवंटित किया जा सकता है।

1. आवेदन पत्र परिषद् की वेबसाईट www.ubter.in एवं मा0 उच्च नयायालय की वेबसाईट www.highcourtofuttarakhand.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है। अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि आवेदन पत्र A/4 साईज एवं 70 gsm सफेद पेपर पर ही भरा जाय।
2. अभ्यर्थी अपने भरे हुए आवेदन पत्र की छायाप्रति एवं स्पीड पोस्ट की रसीद अपने पास सुरक्षित रखें। यदि किसी कारण से लिखित परीक्षा के लिये उनको प्रवेश पत्र नहीं मिल पाता है तो लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने के लिये डुप्लीकेट प्रवेश पत्र उपरोक्त दोनों अभिलेख प्रस्तुत किये जाने पर परिषद् द्वारा जारी किया जायेगा।

सचिव

11. स्थायी पता :

नाम :			
मकान संख्या /मौहल्ला /ग्राम :			
डाकघर :	तहसील :	जिला :	
राज्य :	पिन कोड :		

12. फोन नं० (यदि हो) (एस० टी० डी० कोड सहित).....मोबाइल नं०.....

13. आरक्षण श्रेणी तथा कोड (उचित खाने पर Tick ✓ का निशान लगाये) : अंकित करें :

अनारक्षित		अनुसूचित जाति		अनुसूचित जनजाति		अन्य पिछड़ा वर्ग	
कोड	GEN	कोड	SC	कोड	ST	कोड	OBC

14. क्षेत्रीय आरक्षण श्रेणी (उचित खाने पर Tick ✓ का निशान लगाये) अंकित करें:

महिलार्ये		भूतपूर्व सैनिक		स्व०सं०सेनानी के आश्रित		शारीरिक रूप से विकलांग	
कोड	WO	कोड	EX	कोड	DFP	चलन सम्बन्धी निशक्ता या प्रमस्तकीय अंगघात	PH-3

उत्तराखण्ड के विशिष्ट खिलाड़ी	
कोड	SP

15. शैक्षिक अर्हताएं :

परीक्षा का नाम	उत्तीर्ण वर्ष	बोर्ड/विश्वविद्यालय	पूर्णांक	प्राप्तांक	विषय
हाईस्कूल					
इण्टरमीडिएट					
स्नातक					
स्नातकोत्तर					
अन्य:					

16. क्या अभ्यर्थी को किसी फौजदारी न्यायलय द्वारा कभी दण्ड मिला है अथवा फौजदारी वाद लंबित है? यदि हाँ, तो वह दण्ड क्या था और किन परिस्थितियों में मिला अथवा वाद के लंबित रहने की क्या स्थिति है?.....

17. अभ्यर्थी किसी राजकीय सेवा में कार्यरत है- हाँ / नहीं (अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न करें)

क्या उसके विरुद्ध कोई विभागीय कार्यवाही गतिमान है?

संलग्नकों की संख्या

दिनांक.....

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर.....

स्थान.....

अभ्यर्थी का नाम.....

अभ्यर्थी द्वारा दी जाने वाली घोषणा (जो लागू न हो उसे काट दें)

मैंपुत्र /पुत्री श्रीएतद्वारा यह घोषणा करता /करती हूँ कि :-

1. मैंने उपरोक्त आवेदन पत्र पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति के सन्दर्भ में उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद द्वारा दी गयी विज्ञापित को एवं इसमें दिये गये समस्त विवरणों को ध्यानपूर्वक पढ़ लिया है तथा इस सन्दर्भ में जो भी नियम लागू होते हैं वे मुझे पूर्णतया मान्य हैं।

2. उपरोक्त आवेदन पत्र में दी गयी सभी प्रविष्टियाँ मेरे द्वारा स्वयं भरी गयी हैं एवं मेरी पूरी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सही व सत्य हैं। यदि भविष्य में उपरोक्त लिखित कोई भी जानकारी या बात मिथ्या या गलत अथवा फर्जी पायी जाती है या मैं कोई प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं हो पाता/पाती हूँ या प्रमाणपत्र में कोई भी त्रुटि हो, तो मेरा अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाय। यदि उपरोक्त तथ्य विभाग में नियुक्ति ग्रहण करने के पश्चात भी सामने आते हैं, जिसमें मैं अयोग्य पाया जाता/जाती हूँ तो सम्बन्धित नियुक्ति प्राधिकारी/विभाग द्वारा मेरा अभ्यर्थन /चयन/नियुक्ति निरस्त कर दी जाय। किसी भी मिथ्या या गलत अथवा फर्जी जानकारी देने की स्थिति में मेरे विरुद्ध विधिक कार्यवाही भी की जा सकती है।

3. चयन के सम्बन्ध में सम्बन्धित नियुक्ति प्राधिकारी/विभाग द्वारा लिया गया निर्णय अन्तिम होगा और मैं उस निर्णय को मानने को बाध्य होऊंगा/होऊंगी तथा कोई भी दावा प्रस्तुत नहीं करूंगा/करूंगी।

दिनांक.....

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर :.....

स्थान.....

अभ्यर्थी का नाम :.....



उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद् रूड़की
उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल
उत्तराखण्ड अधीनस्थ सिविल न्यायालय लिपिक वर्गीय सेवा परीक्षा-2012
लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र

अभ्यर्थी का नाम

आवेदित पद का नाम

पिता का नाम

आरक्षण श्रेणी (GEN/SC/OBC/ST)

क्षैतिज आरक्षण श्रेणी (WO/EX/DFP/SP/PH)

पता:-

.....
.....
.....
.....

DIST. PIN.....

अभ्यर्थी इस बॉक्स में अपना नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चिपकायें। इसे स्टेपल या पिन नहीं करें। फोटो के नीचे बॉक्स में अभ्यर्थी अपना पूर्ण हस्ताक्षर अंकित करें।

कार्यालय प्रयोगार्थ

परीक्षा तिथि एवं समय:
अनुक्रमांक
आवंटित परीक्षा केन्द्र का नाम

कार्यालय की सील:



उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद् रूड़की
उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल
उत्तराखण्ड अधीनस्थ सिविल न्यायालय लिपिक वर्गीय सेवा परीक्षा-2012
लिखित परीक्षा हेतु सत्यापन प्रपत्र

अभ्यर्थी का नाम

पिता का नाम

आरक्षण श्रेणी (GEN/SC/OBC/ST)

आवेदित पद का नाम

क्षैतिज आरक्षण श्रेणी (WO/EX/DFP/SP/PH)

अभ्यर्थी इस बॉक्स में अपना नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चिपकायें। इसे स्टेपल या पिन नहीं करें। फोटो के नीचे बॉक्स में अभ्यर्थी अपना पूर्ण हस्ताक्षर अंकित करें।

कार्यालय प्रयोगार्थ

अनुक्रमांक :
आवंटित परीक्षा केन्द्र का नाम:

कार्यालय की सील

परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी के हस्ताक्षरदिनांक

परीनिरीक्षक के हस्ताक्षर